सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलेक्टर /उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा, जिला–र

प्रकरण : संख्या – 36/18 शीर्षक ..... बनाम .....

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण
21/5/18	पत्रावली सायंकाल कैम्प कार्यालय पर पेश हुई। आवे. पुत्री उमर व अपीलकर्ता बालमुकुन्द पुत्रान के अनुपस्थित। प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली एवं उपखण्ड दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रपत्र अन्तर्गत धारा 250 RTA का स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में विपक्षीगण के विरुद्ध इस आशय कि तामूलक के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कि जाती है कि ग्राम बगतपुरा के आराजी 496, 797 498, 499, 492, 494, 101 495, 699/510 में प्रार्थीगण के हिस्से के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार कि दखल अंदाजी करे न करे। आन्दोलन न करे। स्थिति कि यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फौरन सुनवाई कैम्प नजदीक से कम कि जाकर मुकदमा के तरफ तलब कि जावे।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा